



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2014/श्रावण 30, 1936

No. 245]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SHRAVANA 30, 1936

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

सं.एल-1/93/2009-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) इस विनियम के खंड (6) और अस्थिर (इंफर्म) ऊर्जा के संबंध में ऊर्जा क्रय करार के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केन्द्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी है, की ऐसी इकाई, जिसे इन विनियमों के अनुसार अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली हेतु ग्रिड के लिए संयोजकता प्रदान की जा चुकी हो, को निम्नानुसार उल्लिखित अवधियों के लिए संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् सीओडी से पूर्व कमीशनिंग अवधि, जिसमें परीक्षण और पूर्ण भार परीक्षण भी है, के दौरान ग्रिड में इंफर्म ऊर्जा के अंतःपरिवर्तन की अनुज्ञा दी जाएगी।

(क) स्टार्ट-अप ऊर्जा की निकासी प्रथम सिंक्रोनाईजेशन की प्रत्याशित तारीख से पूर्व 15 मास से अनधिक तथा प्रथम सिंक्रोनाईजेशन की तारीख के पश्चात् 6 महीनों से अधिक नहीं होगी।

(ख) अस्थिर ऊर्जा का अंतःक्षेपण प्रथम सिंक्रोनाईजेशन की तारीख से 6 महीनों से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह कि स्टार्ट-अप ऊर्जा की निकासी, प्रभारों के भुगतान के अध्यक्षीन होगी और उत्पादक को स्टार्ट-अप ऊर्जा की निकासी से पूर्व, दो माह पारेषण प्रभारों के समतुल्य अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए परिक्रमी एवं अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र को खोलना होगा :

परंतु यह कि स्टार्ट-अप ऊर्जा का उपयोग उत्पादन केन्द्र द्वारा संनिर्माण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा :

परंतु यह कि आरएलडीसी निम्नलिखित स्थितियों में स्टार्ट-अप ऊर्जा की निकासी को बंद करेगा :

(क) यदि यह स्थापित हो जाता है कि उत्पादन केन्द्र द्वारा संनिर्माण गतिविधियों के लिए स्टार्ट-अप ऊर्जा का उपयोग किया गया है।

(ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर स्टार्ट-अप ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मासिक पारेषण प्रभारों के भुगतान में उत्पादनकारी केन्द्र द्वारा व्यतिक्रम की दशा में :

परंतु यह कि अपवादात्मक परिस्थितियों में आयोग, विहित अवधि के पूरा होने से पूर्व, कम से कम दो माह में उत्पादन केन्द्र द्वारा किए गए आवेदन पर इस खंड में यथाविहित अवधि के आगे ऊर्जा के अंतःपरिवर्तन की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकता है :

परंतु यह कि इस प्रकार की अनुमति प्रदान करते समय संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा :

परंतु यह कि यह प्रमाणित करने का दायित्व उत्पादन केन्द्र के पास होगा कि उत्पादन केन्द्र के यूनिटों से अस्थिर ऊर्जा का अंतःपरिवर्तन कमीशनिंग गतिविधियों, परीक्षण तथा कमीशनिंग प्रयोजन के लिए किया गया है तथा संबंधित आरएलडीसी सीओडी से ऊर्जा के अंतर-परिवर्तन के प्रत्येक अवसर पर ऐसी जानकारी मांगेगा। इसके लिए उत्पादन केन्द्र आरएलडीसी को विनिर्दिष्ट कमीशनिंग गतिविधि, परीक्षण और पूर्ण भार परीक्षण, इसकी अवधि तथा अंतःपरिवर्तन की आशयित अवधि, आदि के पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह भी कि उत्पादन संयंत्र के यूनिट (यूनिटों) द्वारा इस प्रकार अंतःपरिवर्तित अस्थिर ऊर्जा को विचलन के रूप में माना जाएगा और उत्पादक को, समय-समय पर, यथा-संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2014 या उसकी पश्चात्पूर्वी अधिनियमितियों के उपबंधों के अनुसार, अस्थिर ऊर्जा के ऐसे अंतःक्षेपण/निकासी के लिए प्रदत्त/प्रभारित किया जाएगा।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/2014]

टिप्पण :

मूल अधिनियम भारत के राजपत्र सं. 140, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 10.3.2009 को अधिसूचित किए गए थे तथा उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

(क) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम सं. 225 में प्रकाशित तारीख 7.9.2010 की अधिसूचना

(ख) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम सं. 72 में प्रकाशित तारीख 22.3.2012 की अधिसूचना

(ग) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम सं. 86 में प्रकाशित तारीख 26.3.2013 की अधिसूचना

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2014

No. L-1/(93)/2009-CERC.— In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity,

Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

**1. Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Fourth Amendment) Regulations, 2014.

(2) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:** Clause (7) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(7) Notwithstanding anything contained in Clause (6) of this Regulation and any provision with regard to sale of infirm power in the Power Purchase Agreement, a unit of a generating station including a captive generating plant which has been granted connectivity to the inter-State Transmission System in accordance with these regulations shall be allowed to inter-change infirm power with the grid during the commissioning period, including testing and full load testing before the COD, after obtaining prior permission of the concerned Regional Load Despatch Centre for the periods mentioned as under :—

(a) Drawal of Start-up power shall not exceed 15 months prior to the expected date of first synchronization and 6 months after the date of first synchronization.

(b) Injection of infirm power shall not exceed six months from the date of first synchronization :

Provided that drawal of Start-up power shall be subject to payment of transmission charges and the generator shall have to open a Revolving and Irrevocable Letter of Credit issued by a Scheduled Bank equivalent to 2 months transmission charges prior to drawal of Start-up power :

Provided further that the Start-up power shall not be used by the generating station for the construction activities :

Provided further that RLDC shall stop the drawal of the Start-up Power in the following events:

(a) In case, it is established that the Start-up power has been used by the Generating Station for construction activity.

(b) In case of default by the Generating Station in payment of monthly transmission charges to the transmission licensee for the drawal of Start-up power, on the request of the transmission licensee :

Provided that the Commission may in exceptional circumstances, allow extension of the period for inter-change of power beyond the period as prescribed in this clause, on an application made by the generating station at least two months in advance of completion of the prescribed period:

Provided further that the concerned Regional Load Despatch Centre while granting such permission shall keep the grid security in view :

Provided also that the onus of proving that the interchange of infirm power from the unit(s) of the generating station is for the purpose of commissioning activities, testing and commissioning, shall lie with the generating company and the respective RLDC shall seek such information on each occasion of interchange of power before COD. For this, the generating station shall provide RLDC sufficient details of the specific commissioning activity, testing and full load testing, its duration and intended period of interchange, etc:

Provided also that the infirm power so interchanged by the unit(s) of the generating plant shall be treated as deviation and the generator shall be paid/charged for such injection/drawal of infirm power in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014, as amended from time to time or subsequent re-enactment thereof."

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./150/2014]

**Note:**

The Principal Regulations were published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Ser No. 140, dated 10.8.2009 and were amended vide:

- (a) Notification dated 7.9.2010 published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Ser No. 225;
- (b) Notification dated 22.3.2012 published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Ser No. 72; and
- (c) Notification dated 26.3.2013 published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Ser No. 86.